



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि०प्रा०/नि 5-08/2018

53

/पटना, दिनांक 11/01/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (व्यापार मंडल स०स०)

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय :

व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटी का निर्वाचन के व्यय की अधिसीमा एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में।

महाशय,

प्राधिकार के पत्रांक: 940 दिनांक: 25.09.2017 की कंडिका- 2 में स्पष्ट निदेशित है कि व्यापार मंडल के संदर्भ में निर्वाचन व्यय संबंधी लेखा निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करने के संबंध में प्राधिकार के उक्त पत्रांक- 386 दिनांक 25.05.2017 में विहित निदेश एवं प्रपत्र यथा आवश्यक संशोधनों सहित हू-ब-हू (Mutatis Mutandis) लागू होंगे, जिसमें निदेशित है कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा-जोखा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर देना है।

2. जिन अभ्यर्थियों ने विहित समय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ नहीं जमा कराया है, वैसे तमाम अभ्यर्थियों से निर्वाचन पदाधिकारी निम्न प्रपत्र में स्पष्टीकरण माँगेंगे।

“ सेवा में

.....
अपने..... (व्यापार मंडल सहयोग समिति का नाम) के गत निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। अतः 15 दिनों के अन्दर सूचित करें कि बिहार निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा-9 के अधीन आपको निरहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई हेतु प्राधिकार को प्रतिवेदन क्यों नहीं भेज दिया जाय।

निर्वाचन पदाधिकारी”

3. ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूचना जिनसे प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है अथवा कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, निम्न प्रपत्र में 28.02.2019 तक निर्वाचन पदाधिकारी निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे। प्रपत्र के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण भी (मूल में) संलग्न करेंगे।

विश्वासभाजन

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।

प्रपत्र

निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला:

प्रखंड:

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	(व्य०मं०स०स०) का नाम	किस पद के उम्मीदवार थे.	अभ्यर्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण की तिथि	अभ्युक्ति